

पर्व डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

दिनांक - 32/2025

अनदान :-

2. जयदीप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी थेंहड खोडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीपसिंह
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीपसिंह
4. रणजीत सिंह पुत्र कृपालसिंह
- 4 परमजीत सिंह पुत्र हरवंशसिंह
- 5 जसविन्द्रकौर (प्रकाशकौर) पत्नी गुरदीपसिंह
6. सिमरण कौर पुत्रीयों भूपेन्द्रसिंह
7. हरमन कौर

जाति जटसिख निवासीयान थेंहडखोडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुताप डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क. वादी जयदीप सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 2 एस आर डवल्यू के खाता सं० 49 में अंकित 1.252 है०

ख. प्रतिवादी सं० 1 भूपेन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 2 एस. आर डवल्यू के खाता सं० 50/41 में अंकित कुल 0.253 है० आराजी इसी चक के खाता सं० 52/100 में अंकित कुल 0.253 है०, इसी चक के खाता सं० 51/42 में अंकित कुल 1.012 है० आराजी

ग. प्रतिवादी सं० 2 राजेन्द्र सिंह को प्राप्त आराजी :- चकनं० 3 एस. आर डवल्यू के खाता सं० 28 में अंकित 1.012 है०


घ. प्रतिवादी सं० 4 परमजीत सिंह को प्राप्त आराजी :- चकनं० 2 एस. आर डवल्यू के खाता सं० 4/115 में अंकित कुल 1.285 है० मे से जसविन्द्र कौर का 632/

1285 हिरसा

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते चकनं० 2 एस.आर डवल्यू के खाता सं० 52/100 में से गुरदीपसिंह, परमजीतसिंह, रणजीतसिंह का नाम कलमजान, इसी चक के खाता सं० 51/42 में गुरदीपसिंह, परमजीतसिंह, रणजीतसिंह का नाम कलमजान,

इस चक के खाता सं० 4/115 में से जसविन्द कौर का नाम कायमजम, इसी चक के खाता सं० 49 व खाता सं० 50 /41 में से गुरदीपसिंह का नाम कायमजम, चक नं० 3 एस आर डबल्यू के खाता सं० 28 में से गुरदीपसिंह का नाम कायमजम रिकॉर्ड जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार राजस्व डिक्री को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद स्थान स्थिति सम्बन्ध न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अग्रिम दरमामद करें। छर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्च डिक्री आज दिनांक 16/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण शर्मा)
उपसहायक अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर
डिक्री